सरल कानूनी ज्ञान माला – 34

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड़ देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन/फैक्स 05942–236552, ई–मेल : **slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com**

एक परिचय

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2008) की धारा–65(3) व 65(4) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत उत्तराखण्ड पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के सेनानिवृत्त न्यायाधीश प्राधिकरण के मा0 अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं।

यह प्राधिकरण स्वायत्तशासी एवं अर्द्धन्यायिक संस्था है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कार्यालय 28, पार्क रोड़, लक्ष्मण चौक, देहरादून में स्थित है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 71(2) के अधीन यह प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध गम्भीर कदाचार (Serious Misconduct) जैसे पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार या बलात्कार का प्रयास, विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध, मानवाधिकारों का उल्लंघन, तथा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। पुलिस अवचार (Misconduct) की शिकायतें प्राप्त होने पर उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 71(1) के अधीन जांच एवं आगे की कार्यवाही के लिए प्राधिकरण शिकायत पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को अग्रसारित करेगा। पुलिस महानिदेशक जांच करवाने के बाद समुचित कार्यवाही की सूचना प्राधिकरण को निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध करवायेंगे। तत्पश्चात् प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगा।

इसके अलावा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तीन माह में राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अवचार के आरोपों के निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों पर विभागीय कार्यवाही की प्रगति की आख्या देंगे। साथ ही ऐसे प्रकरणों, जो विभागीय जांच हेतु लम्बित हों, और यदि जांच काफी समय से लम्बित है, तो लम्बित होने के कारणों सहित समीक्षा कर, प्राधिकरण को अवगत करेगा। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण शासन को यथोचित कार्यवाही हेतु संसूचित करेगा।

<u>उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 के मुख्य उद्देश्य</u>

पुलिस व्यवस्था की उभरती हुई चुनौतियों, कानून का शासन लागू करने, राज्य और जनता की सुरक्षा की समस्याएं एवं मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधिष्ठान, विनियमों तथा प्रबन्धन, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित करते हुए दक्ष व्यावसायिक, प्रभावी जवाबदेह और जनता की पुलिस को उत्तरदायी बनाए जाने के दृष्टिकोण से यह अधिनियम भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया है।

<u>प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य</u>

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड पुलिस बल में कार्यक्षमता का संचार करना तथा पुलिस कार्मिकों के अवचार व गम्भीर अवचार के कृत्यों को रोकना है। प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के अवचार व गम्भीर अवचार प्रथम दृष्टया पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन को उचित कार्यवाही की सिफारिश करेगा। इस प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। प्राधिकरण किसी भी शिकायतकर्ता से शिकायत को सीधे या डाक द्वारा भी प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार एवं महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड भी प्राधिकरण को पुलिस के विरूद्ध शिकायत जांच के लिए भेज सकती है।

प्राधिकरण की शक्तियां

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 72

(1) प्राधिकरण, विधिक विशेषाधिकार के अधीन, ऐसे बिन्दुओं या मामलों पर, किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिए अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जांच के विषय में उपयोगी अथवा संगत हो सकती है और ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसी अपेक्षा की गयी है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(2) प्राधिकरण को, इस अध्याय के अर्न्तगत, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर, अपने निष्कर्ष से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी और समुचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी।

शिकायतकर्ता के अधिकार

उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 धारा 74

(1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी "अवचार" अथवा "गम्भीर अवचार" से सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा; परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस शिकायत की विषयवस्तु की जांच की जा रही है।

(2) उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से शिकायत की गयी है, वह, विभागीय जांच की किसी अवस्था में, जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता को, जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच की प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किये जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षो के सम्बन्ध में यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही

(1) शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकरण को अधिकार है कि वह या तो पुलिसकर्मी के विरूद्ध अवचारों की जांच किसी जांच ऐजेन्सी या अवकाश प्राप्त सी0आई0डी0, इन्टेलिजेन्स, विजिलेन्स और किसी अन्य संस्था से करा सकता है और उनकी जांच रिपोर्ट एक नियत समय में प्राधिकरण मंगा सकता है। यह प्राधिकरण का पूर्ण कार्यक्षेत्र है कि वह पुलिस अधिकारी से भी इस मामलें में जांच करा सकता है।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाती है और यदि रिपोर्ट शिकायतकर्ता के विरूद्ध होती है तो शिकायतकर्ता उसके सम्बन्ध में अपनी आपत्ति शपथ पत्र पर कर सकता है। वह शपथ पत्र प्राधिकरण द्वारा विहित समय के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण जैसा उचित समझता है वैसा निर्देश साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि प्राधिकरण को यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में इस मामले पर कुछ आगे जांच करना प्रथम दृष्टया आवश्यक है, तो वह मामले का संज्ञान लेकर प्रत्यर्थीगणों को नोटिस भेजता है।

(3) प्रत्यर्थी भी प्राधिकरण के आदेश के अधीन या तो स्वयं प्राधिकरण में उपस्थित होकर या डाक द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिये गये समय के भीतर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित साक्ष्यों व दस्तावेज से प्राधिकरण अवचार का मामला नहीं पाता है तो वह मामले को वहीं समाप्त कर सकता है।

(4) प्रतिउत्तर प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण दोनों पक्षों को अपने–अपने साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देता है और उस निर्देश के अधीन वे प्राधिकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) यदि साक्ष्य शपथ पत्र में दिये गये हों तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण पुनः आहूत कर प्रतिपरीक्षा कर सकता है।

(6) इसके उपरान्त दोनों के तर्क वितर्क को सुनने के उपरान्त प्राधिकरण अपने निष्कर्ष शासन को प्रेषित करता है और यह भी सुझाव देता है कि सम्बन्धित पुलिसकर्मी के विरूद्ध क्या–क्या कार्यवाही की जाये। प्राधिकरण को यह भी अनुज्ञय है कि वह प्रशासनिक जांच या दण्डात्मक कार्यवाही के लिए शासन को अपनी संस्तुति भेज सकता है और शासन से उस मामले पर की गई अग्रिम कार्यवाही की आख्या मांग सकता है।

परिशिष्ट "क"

शिकायत का प्रपत्र

1. शिकायतकर्ता का नाम :

2. पिता का नाम :

3. व्यवसाय :

4. स्थायी पता :–

   (क) नाम :

   (ख) स्थान :

   (ग) डाकघर व पुलिस थाना :

   (घ) जनपद :

5. जिस पुलिस कर्मी के विरूद्ध शिकायत की जा रही है उसका नाम, पदनाम (जो मामले के विषय में शिकायत किए जाने के समय पर रहा हो) और वर्तमान पता (यदि ज्ञात हो)। :

6. दिनांक जब शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ हो :

7. शिकायतकर्ता अग्रेतर घोषणा करता है कि शिकायत घटना के 6 माह की विहित परिसीमा अवधि के भीतर है। :

8. शिकायत विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण :

9. क्या शिकायत पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष : की गयी थी या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गयी थी ? यदि हाँ तो उसका क्या परिणाम निकला, यदि नहीं, तो कृपया संक्षेप में कारण बतायें।

10. अवचार व गम्भीर अवचार की तिथि :

11. क्या ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिन्हें शिकायत से सम्बन्धित तथ्यों के बारे में जानकारी हो, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समन करना चाहें। :

12. शिकायत में संलग्न दस्तावेजों की सूची जिसमें शिकायत : का शपथ पत्र भी सम्मिलित है।

13. शिकायत का विवरण :

14. शिकायतकर्ता अग्रेतर घोषणा करता है कि उसने इस विषय में, जिसके सम्बन्ध में शिकायती पत्र दिया है, कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद पूर्व में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण के किसी अन्य पीठ के समक्ष दाखिल नहीं किया है और न ही कोई ऐसा आवेदन–पत्र, रिट याचिका या वाद उनके से किसी के समक्ष लम्बित है।

यदि शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में ऐसा कोई आवेदन–पत्र, रिट याचिका या वाद दाखिल किया जा चुका है तो वह प्रक्रम जिस पर वह लम्बित है और यदि विनिश्चय हो चुका है तो विनिश्यच की सूची उसके समर्थन में दिये जाने वाले अनुलग्नक की संख्या के सन्दर्भ सहित, दी जानी चाहिए।

15. संलग्नकों व दस्तावेजों की सूची :–

;पद्ध

;पपद्ध

;पपपद्ध

;पअद्ध

सत्यापन

मैं ..... (शिकायतकर्ता का नाम) पुत्र, पत्नी, पुत्री श्री .....आयु ..... निवासी ..... (पूरा पता) एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि पैरा .....से ..... तक की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है और पैरा .....से ..... तक की विषय वस्तु के बारे में ज्ञान व दस्तावेजों के आधार पर मुझे विश्वास है कि सत्य है और कि मैंने कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं है।

दिनांक : शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नोट : शिकायत तीन प्रतियों (मूल प्रति एवं छायाप्रति) में प्रस्तुत/प्रेषित करें।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हॉ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रष्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस शिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक

39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2015

विधिक सेवाएं क्या है ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक
12. HIV/एड़स से सक्रमित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य–सचिव **कार्यपालक अध्यक्ष**

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल